प्रतिलिपि–न्यायालय प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण बस्तर स्थान जगदलपुर विविध दावा क्रमांक 195/2022 मूल दावा प्रकरण क्रं–224/2019 पक्षकार श्रीमती जेमा सेठिया व अन्य विरूद्ध सूरज नाग अन्य आदेश दिनांक–17/10/2022 से तैयार किया गया। —00—

17.10.2022

आवेदिकागण की ओर से श्री तरूण चौहान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज नाजिर प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख की प्रतीक्षा हेतु नियत है।

दावा प्रकरण क्र0:224/2019पक्षकार श्रीमती जेमा सेठिया अन्य विरूद्ध सूरज नाग अन्य अधिनिर्णय दिनांक 07.09.2022 के अवार्ड की सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति कापी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत।

दावा खाता में क्षतिपूर्ति राशि जमा होने के संबंध में जिला नाजिर का प्रतिवेदन प्राप्त।

दावा प्रकरण– क्रं–224/2019 श्रीमती जेमा सेठिया अन्य विरूद्ध सूरज नाग अन्य अधिनिर्णय दिनांक 07.09.2022 के अनुसार आवेदिकागण के पक्ष में कुल क्षतिपूर्ति राशि**–10,25,750/– (दस लाख पच्चीस हजार सात सौ पचास रूपये)** अनावेदक क्रं–3 दि नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी जगदलपुर को जमा करने आदेश दिया गया था।

जिला नाजिर के प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि एच.एस.बी.सी. बैंक के चेक क्रमांक**–248547** दिनांक 20.09.2022 के द्वारा रूपये–11,89,949/–(ग्यारह लाख नवासी हजार नौ सौ उन्चास रूपये) दावा खाता क्रमांक 2225000100004929 पंजाब नेशनल बैंक जगदलपुर में दिनांक 23.09.2022 को जमा किया गया है।

अतः आवेदन पत्र विधि अनुरूप होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेशानुसार आदेशित किया जाता है कि, कुल जमा राशि– 11,89,949/–(ग्यारह लाख नवासी हजार नौ सौ उन्चास रूपये) में से आवेदिका क्र0–(1) श्रीमती जेमा सेठिया पति– स्व0पाकलू सेठिया आयु–53 वर्ष, आवेदक क्र0–(2)दिनेश सेठिया पिता– स्व0 पाकलू सेठिया उम्र–30 वर्ष,आवेदक क्र0–(3) राजाराम सेठिया पिता–स्व0 पाकलू सेठिया आयु–28 वर्ष, आवेदक क्र0–(4) तुलाराम सेठिया पिता–स्व0 पाकलू सेठिया आयु– 26 वर्ष, सभी निवासी जामगुड़ापारा ग्राम कुरन्दी थाना –नगरनार तहसील –जगदलपुर जिला–बस्तर के नाम पर 2–2 लाख रूपये (दो–दो लाख रूपये) पांच वर्ष के लिए किसी राष्टीकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा किया जावे।

शेष क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर देय समस्त ब्याज आवेदिका क्रमांक–1 श्रीमती जेमा सेठिया को पृथक

से एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे।

उपरोक्त सावधि जमा राशि को आवेदिकागण समय पूर्व बिना इस अधिकरण की अनुमति के आहरित नही कर सकेगें ना ही उस पर कोई ऋण प्राप्त कर सकेगे।किन्तु सावधि जमा राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि को आवेदिकागण स्वयं के भरण पोषण हेतु समय समय पर आहरित कराने के अधिकारी होगें।

भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार किए जाने हेतु आदेश की प्रतिलिपि जिला नाजिर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दावा एम.जे.सी पंजी मे दर्ज किया जावे।

अभिलेख व्यवस्थित करके नियत अवधि में रिकार्डरूम में जमा किया जावे।

प्रकरण समाप्त।

सही/—
(डी.आर.देवांगन)
प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण
जगदलपुर छ0ग0

प्रतिलिपिः—

जिला नाजिर जगदलपुर छ0ग0 को आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/—
(डी.आर.देवांगन)
प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण
जगदलपुर छ0ग0